APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....कोटा.....

.....बक्शू उर्फ रामलाल.....बनाम.....सरकार.....

किस्म मुकदमा.....L.R. Act - 136.....नं. .....128.....सन्.....2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बक्शू उर्फ रामलाल की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/10/25 को पेश हो।	
17/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी बक्शू उर्फ रामलाल की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 8 पुराना 8 के खसरा नं0 98 एवं 99 रकबा 2.11 है0 वाके ग्राम शम्भूपुरा पटवार हल्का गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 निहित है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम का इन्द्राज बक्शू पुत्र भोलू अंकन हो रहा है जबकि प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में बतौर सह खातेदार बक्शू उर्फ रामलाल पुत्र भोलू का इन्द्राज करवाना चाहता है और बक्शू उर्फ रामलाल के नाम से ही प्रार्थी का आधार कार्ड भी जारी शुदा है। श्रीमान से प्रार्थना है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में बक्शू पुत्र भोलू के स्थान पर बक्शू उर्फ रामलाल पुत्र भोलू का इन्द्राज किये जाने के संबंध में न्यायोचित आदेश संबंधित राजस्व कार्मिक को प्रदान किये जाने की कृपा करें। पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम शम्भूपुरा के खाता सं0 8 में बक्शू पुत्र भोलू हि0 1/4 खाता दर्ज रिकॉर्ड है। ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि बक्शू का सही नाम रामलाल ही है। गांव में सब बक्शू कहते थे इसलिए नकल में भी बक्शू पुत्र भोलू दर्ज हो गया। अतः बक्शू व रामलाल एक ही व्यक्ति है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बक्शू पुत्र भोलू नाम सहवन से दर्ज हुआ है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी बक्शू उर्फ रामलाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम शम्भूपुरा के खसरा नं0 98 रकबा 0.67 है0 एवं खसरा नं0 99 रकबा 1.44 है0 कुल 2 किता रकबा 2.11 है0 में बक्शू पुत्र भोलू के स्थान पर बक्शू उर्फ रामलाल पुत्र भोलू दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	